Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

# भारतीय संविधान में संशोधनों की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता

**डॉ. नियाज अहमद अन्सारी* राखी गुप्ता****

* सहा. प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान एवं व्यक्तित्व विकास) शासकीय आदर्श महाविद्यालय, उमरिया (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी (राजनीति विज्ञान) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश –** वर्ष 2024 में भारतीय संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 26 नवम्बर को संविधान की हीरक जयंती को सालभर संविधान का अमृत महोत्सव के रूप में देशभर में मनाया जा रहा है। किसी भी देश का संविधान एक प्रगतिशील एवं परिवर्तनशील महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है। देश के विकास के साथ-साथ संविधान का विकास होना भी जरूरी होता है, जो कि इसमें समयानुकूल संशोधन करके सम्पन्न किया जाता है।। भारतीय संविधान एक सदी के बड़े ब्रिटिश शासनकाल में क्रमिक रूप से विकसित हुआ है। ब्रिटिश संसद ने भी भारत के लिए अनेक अधिनियम बनाए। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अमेरिका एवं आस्ट्रेलिया की तुलना में कम कठोर है। अत: अब भारतीय संविधान में संशोधनों की आवश्यकता प्रक्रिया एवं प्रासंगिकता की विवेचना किया जाने से इसकी प्रासंगिकता सामने लाना जरूरी प्रतीत होता है।

इसके तहत संविधान में संशोधन की आवश्यीकता एवं प्रक्रिया, महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों एवं उनका प्रभाव, लोकतंत्र के विकास में संविधान संशोधनों का योगदान, विकसित भारत-2047 में संविधान की भूमिका, अत्यंधिक संशोधनों की आलोचना, भारत में संविधान के भविष्यो आदि बिन्दुओं में चर्चा प्रारंभ होना चाहिए।अबतक भारत में संविधान लागू होने की मात्र 75 वर्षीय न्यून अवधि में ही संविधान में 106 संशोधन किए जा चुके हैं। भारत के समग्र विकास में इन संशोधनों का भी योगदान रहा है।

अत: समय की मांग को ध्यान में रखकर संविधान में संशोधन करना तत्कालीन सरकार के लिए प्रासंगिक एवं अनिवार्य हो जाता है। यही कारण है कि संविधान में समय-समय पर लचीलापन अपनाते हुए कुछ प्रावधान जोड़े जाते है तो कुछ हटाए या परिवर्तित किए जाते हैं। इसलिए भारतीय संविधान में समयानुकूल नए राज्यों का गठन, अधिकारों पर उचित प्रतिबंध, मौलिक कर्तव्यों का विस्तार, कमजोर, शोषित वर्गो के लिए आरक्षण एवं अन्य प्रावधान संविधान संशोधनों के माध्यम से स्थापित किए जा सके हैं।ग्रेनविल ऑस्टिन जैसे संविधान समीक्षकों ने भारतीय संविधान को सामाजिक क्रांति का सशक्त माध्यम निरूपित किया है।

**शब्द कुंजी –** भारतीय संविधान, संविधान संशोधन,संवैधानिक विकास, लोक कल्याण,विकसित भारत-2047 एवं लोकतांत्रिक मूल्य।

**प्रस्तावना –**वर्ष 2024 में भारतीय संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 26 नवम्बर 2024 को 'भारतीय संविधान की हीरक जयंती'(डायमंड जुबली) को संविधान का अमृत महोत्सव के रूप में देशभर में सालभर मनाया जा रहा है।[1]अब सालभर भारत के सभी राज्यों में निबंध प्रतियोगिता,परिचर्चा,प्रश्नामंच एवं संविधान पर आधारित पुस्त कों की प्रदर्शनी आदि का आयोजन नवाचार के रूप मेंविभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रहीं हैं। वास्त व में किसी भी देश का संविधान एक प्रगतिशील एवं परिवर्तनशील महत्वपूर्ण ग्रंथ होता है। देश के विकास के साथ-साथ संविधान का विकास होना भी जरूरी होता है, जो कि इसमें समयानुकूल संशोधन करके सम्पन्न किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा एवं लोकतांत्रिक संविधान होने के नाते इसका वैश्विक महत्व स्वत: बढ़ जाता है।

न्यायमूर्ति वी.आर कृष्णा अय्यरने इन शब्दों में व्यक्त किया है,' विश्व का हर छटवा व्यक्ति भारतीय है और वह प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर और आधुनिक संवैधानिक परम्परा का उत्तराधिकारी है।अत: भारतीय संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोपरि रखना हर भारतीय का कर्तव्य है।'[2] 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवम्बर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान एक सदी के बड़े ब्रिटिश शासनकाल में क्रमिक रूप से विकसित हुआ है। ब्रिटिश संसद ने भी भारत के लिए अनेक अधिनियम बनाए। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अमेरिका एवं आस्ट्रेलिया की तुलना में कम कठोर है। सितम्बर 2023 तक भारतीय संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। अत: भारतीय संविधान में संशोधनों कीआवश्यकता प्रक्रिया एवं प्रासंगिकता की विवेचना इन बिन्दुओं में की जा सकती है-

1. संविधान में संशोधन की आवश्यनकता एवं प्रक्रिया
2. अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन एवं उनका प्रभाव
3. लोकतंत्र के समग्र विकास में संविधान संशोधनों की प्रासंगिकता
4. विकसित भारत-2047 में संविधान का योगदान
5. अत्यिधिक संशोधनों की आलोचना
6. निष्कर्ष

**संविधान मेंसंशोधन की आवश्यशकता एवं प्रक्रिया** – भारतीय संविधान के भाग-20 के तहत अनुच्छेद-368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निम्नयलिखित तीन रूपों में व्यक्त की गई है- [3]

**अ. साधारण बहुमत से संशोधन–** वे अनुच्छेद जिन्हें संसद में साधारण

बहुमत से ही पारित किया जा सकता है। इनमें उल्लेखनीय हैं- 1. नए राज्यों का निर्माण(अनुच्छेद 3एवं 4) 2.राज्य के क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन (अनुच्छेद- 169एवं 239-A)

**ब. दो तिहाई बहुमत द्वारा संशोधन की प्रक्रिया-** इस प्रकार के प्रक्रिया के तहत प्रत्येक सदन में सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत और उस सदन में उपस्थित एवं मतदान करनेवाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई (2/3) बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव संसद के किसी भी रखा जा सकता है, किंतु उसे पारित तभी माना जाता है , जब उसे संसद के दोनों सदन पारित कर दें। इसके बाद पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु प्रेषित कर दिया जाता है। इस श्रेणी में आनेवाले अनुच्छेदों की संख्या बहुत ज्यादा है। वास्तव में प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी में आनेवाले अनुच्छेदों को छोड़कर शेष सभी अनुच्छेदों को संसद दो तिहाई बहुमत से ही संशोधन कर सकती है।

**स. दो तिहाई बहुमत और राज्य विधान मंडलों की स्वीकृति-** इस प्रकार की प्रक्रिया कठिन एवं दीर्घकालीन होती है। इस विशेष प्रक्रिया से संशोधन करने हेतु प्रस्ताव को संसद के 2/3 बहुमत के साथ ही कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति मिलने के बाद ही पारित प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षरार्थ भेजा जाता है। इस विशेष श्रेणी में निम्नलिखित उपबंध/अनुच्छेद आते हैं-

1. राष्ट्रपति का चुनाव एवं निर्वाचन विधि / प्रक्रिया (अनु. 54 एवं 55)
2. केन्द्रीय कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार (अनु. 73)
3. राज्यों की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार (अनुच्छेद-162)
4. केन्द्र शासित क्षेत्रों हेतु उच्च न्यायालय की व्यवस्था (अनु. 241)
5. राज्यों के लिए उच्च न्यायालय (भाग-5एवं 6)
6. केन्द्र-राज्यों के मध्य विधायी सम्बंध (भाग-17, अध्याय-1)
7. 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई भी विषय
8. संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित विषय
9. संविधान संशोधन करने से संबंधित अनुच्छेद-368

**2. अब तक हुए अति महत्वपूर्ण संविधान संशोधन एवं उनका प्रभाव-** भारत में संविधान लागू होने की मात्र 75 वर्षीय न्यून अवधि में ही अबतक संविधान में106 संशोधन किए जा चुके हैं। भारत के समग्र विकास में इन संशोधनों का भी योगदान रहा है। अत: इन 106 संविधान संशोधनों में अति महत्वपूर्ण संशोधनों की विवेचना इन शब्दों में की जा सकती है- [4]

| क्र. | संशोधन क्रमांक एवं वर्ष | विषयवस्तु |
|---|---|---|
| 1 | पहला, 1951 | अनुच्छेद-19 में राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, नैतिकता और शालीनता के आधार पर उचित प्रतिबंध लगाए गए। इस संशोधन से जमींदारी प्रथा को भी समाप्त किया गया। इसके साथ ही अनु. 31, 85, 87,174, 176, 341, 342, 372 एवं 376 में भी आंशिक संशोधन किए गए। |
| 2 | दूसरा, 1952 | इसके द्वारा अनु. 181 में संशोधन करके लोकसभा के एक सदस्य के चुनाव हेतु 7,50,000 मतदाता एवं लोकसभा के लिए अधिकतम सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई। |
| 3 | सातवां, 1956 | इसके द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से नए राज्यों की स्थापना एवं सीमाओं में बदलाव कर प्रचलित 3 प्रकार के राज्यों के वर्ग को समाप्त किया गया। |
| 4 | आठवां, 1960 | अनु.334 में संशोधन करके SC एवं ST के लिए लोक एवं विधान सभा में आरक्षित स्थानों एवं आंग्ल- भारतीयों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को 26 जनवरी, 1960 से 10 वर्ष के लिए पुन: बढ़ाया गया। |
| 5 | बारहवां, 1962 | इस संशोधन द्वारा गोवा, दमन एवं दीवको केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। |
| 6 | सोलहवां, 1963 | राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वह देश की एकता एवं अखण्डता की रक्षार्थ नागरिकों के अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकते हैं। |
| 7 | तेईसवां, 1969 | SC एवं ST हेतु संसद एवं राज्य विधान मंडलो में आरक्षण को 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया। |
| 8 | चौबीसवां, 1971 | संसद को मूलाधिकारों के साथ ही संविधान के समस्त उपबंधों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा गोलकनाथ मुकदमे का निर्णय भी निष्प्रभावी हो गया। |
| 9 | छब्बीसवां, 1971 | पूर्व रियासतों के शासकों की मान्यता एवं उनको दी जानेवाली प्रिवीपर्स (शासकों को देय रियायतें) को समाप्त कर दिया गया। |
| 10 | अट्ठाईसवां, 1972 | नया अनुच्छेद- 312 (A) जोड़कर IAS के विशेष अधिकारों एवं सेवा शर्तों को समाप्त किया गया। |
| 11 | इकतीसवां1973 | अनुच्छेद-81में संशोधन करके लोकसभा में निर्वाचितों की संख्या 525 से 545 की गई। |
| 12 | अड़तीसवां,1975 | अनुच्छेद- 123,213, 239 (B), 352,356 एवं 360 को संशोधित किया गया। राष्ट्रपति की आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के अध्यादेशों को न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र से अलग किया गया। |
| 13 | चालीसवां,1976 | भारत के समुद्र या महाद्वीपीय जलमार्ग या आर्थिक क्षेत्र के भीतर सागर के तल की समस्त भूमि, खनिज सम्पदा पर केन्द्र सरकार को स्वामित्व प्रदान किया गया। |
| 14 | बयालीसवां,1976 | यह संशोधन अब तक हुए संशोधनों में सबसेबड़ा संशोधन माना जाता है। वास्तव में यह संशोधन एक प्रकार से सम्पूर्ण संविधान का पुनरीक्षण था। इसके द्वारा अनुच्छेद-51 (क) जोड़कर 10 मूल कर्त्तव्य जोड़े गए। प्रस्तावना में 'प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य' शब्द जोड़े गए। लोकसभा एवं विधानसभाओं का कार्यकाल 5 |

| | | |
|---|---|---|
| | | से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। इसके अतिरिक्त मूल अधिकारों, नीति निदेशक तत्वों, संघीय कार्यपालिका, संघीय न्यायपालिका, नियंत्रक-महालेखा परीक्षक, सातवीं अनुसूची आदि में भी संशोधन किए गए। न्यायिक समीक्षा को भी सीमित किया गया। |
| 15 | चवालीसवां, 1978 | सम्पत्ति के मौलिक अधिकार को संवैधानिक (कानूनी) अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद-352 में 'आंतरिक अव्यवस्था' के स्थान पर 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द का प्रयोग किया गया। अनु. 356 को संशोधित करके राज्य में लागू राष्ट्रपति शासन की अवधि एक समय में 12 माह से घटाकर 6 माह कर दी गई। |
| 16 | बावनवां, 1985 | राजनीतिक दलों के दल-बदल पर कानून बनाकर संविधान में 10 वीं अनुसूची के रूप में स्थापित किया गया। |
| 17 | सत्तवनवां, 1987 | नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश में ST के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित करने हेतु अनु. 330 एवं 332 को संशोधित किया गया। |
| 18 | अठावनवां, 1987 | राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह केन्द्रीय अधिनियमों एवं संविधान में किए गए हर संशोधन का हिन्दी अनुवाद का प्रकाशन करा सकता है। |
| 19 | इकसठवां, 1989 | अनुच्छेद-326 में संशोधन करके मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। |
| 20 | पैसठवां, 1990 | SC एवं ST के लोगोंको संवैधानिक संरक्षण प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। |
| 21 | उनहत्तरवां, 1991 | अनु. 239AA एवं 239 AB का समावेश कर के केन्द्रशासित क्षेत्र दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) कर 70 सदस्यीय विधानसभा गठित की गई। |
| 22 | पचहत्तरवां, 1994 | मकान मालिक एवं किराएदारों के विवादों को शीघ्र निपटाने हेतु न्यायाधिकरणों की व्यवस्था की गई। |
| 23 | सतहत्तरवां, 1995 | सरकारी सेवाओं में पदोन्नति हेतु SC एवं ST का कोटा सुरक्षित किया गया। |
| 24 | बयासीवां, 2000 | पदोन्नति देने हेतु SC एवं ST के सदस्यों के पक्ष में किसी परीक्षा हेतु अर्हताअकों या मूल्यांकन के स्तरों में नरमी बरतने की व्यवस्था की गई। |
| 25 | चौरासीवां, 2000 | म. प्र. से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल एवं बिहार से झारखण्ड का क्रमश: 26,27 एवं 28वें राज्य के रूप में गठन किया गया। |
| 26 | छियालीवां, 2002 | अनु.21A, 45 एवं 51A(K) जोड़कर 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई। |
| 27 | चौरानवेवा,2006 | म.प्र., उड़ीसा के साथ-साथ छत्तीसगढ़ एवं झारखंड को सम्मिलित किया जाकर ST के कल्याणार्थ एक मंत्री का प्रावधान किया गया। इस सूची से बिहार का नाम अलग किया गया। |
| 28 | एक सौ एक्वां, 2016 | गुड्स एवं सर्विस टैक्स (GST) को लागू किया गया। |
| 29 | एक सौ दोवा, 2018 | अनु.338 एवं 366में संशोधन करते हुए सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। |
| 30 | एक सौ तीनवां, 2019 | आर्थिक रूप से पिछड़े अनारक्षित वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश और सरकारी नौकरी में अधिकतम 10% आरक्षण की व्यवस्था करने हेतु अनु. 15 एवं 16 में संशोधन किया गया। |
| 31 | एक सौ पांचवा, 2021 | अनु. 338B, 342A एवं 366 में संशोधन कर राज्यों को भी पिछड़ा वर्ग की सूची बनाने का अधिकारप्रदान किया गया। |
| 32 | एक सौ छटवां, 2023 | लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था को निकट भविष्य में लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। इस अधिनियम को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' का नाम दिया है। |
| 33. | एक सौ उन्तीं सवा दिसंबर, 2024 | एक देश : एक चुनाव की व्यअवस्थाक से संबंधित प्रावधान। |

**लोकतंत्र के समग्र विकास में संविधान संशोधनों की प्रासंगिकता –** एक संविधान किसी भी देश के लिए जीवंत ग्रंथ होता है जो वहां के नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिबिम्बित करता है। समय-समय पर सरकार और जनता की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सोच में बदलाव आता रहता है। इन सबको दृष्टिगत रखते हुए संविधान में समयानुकूल संशोधन करने की आवश्यकता होती है। समय पर जरूरी बदलाव न करने पर परिस्थितियां प्रतिकूल और ज्यादा चुनौतीपूर्ण बन जाती हैं।

अत: समय की मांग को ध्यान में रखकर संविधान में संशोधन करना तत्कालीन सरकार के लिए प्रासंगिक एवं अनिवार्य हो जाता है। यही कारण है कि संविधान में समय-समय पर लचीलापन अपनातेहुए कुछ प्रावधान जोड़े जाते है तो कुछ हटाए या परिवर्तित किए जाते हैं। इसलिए भारतीय संविधान में समयानुकूल नए राज्यों का गठन, अधिकारों पर उचित प्रतिबंध, मौलिक कर्तव्यों का विस्तार, कमजोर, शोषित वर्गो के लिए आरक्षण एवं अन्य प्रावधान संविधान संशोधनों के माध्यम से स्थापित किए जा सके हैं।ग्रेनविले ऑस्टिन जैसे संविधान समीक्षकों ने भारतीय संविधान को सामाजिक क्रांति का सशक्त माध्यम निरूपित किया है। [5]

**विकसित भारत-2047 में संविधान का योगदान-** आजादी एवं संविधान के अमृतकाल में भारत कालोतंत्र निरन्तर विकास की ओर अग्रसर है। संविधान के निर्माण से लेकर अबतक संविधान को अपेक्षाकृत ज्यादा लोककल्याणकारी एवं राष्ट्रहित में उपयोगी बनाने हेतु समयानुकूल संशोधन होते रहे हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत हुई है। आज भारत विश्व की 5 वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर आजादी की शताब्दी वर्ष 2047 तक तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित देश बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

आशा की जा रही है विभारत 2047 तक न केवल आर्थिक मामले, बल्कि अंतरिक्ष, रक्षा, प्रौद्यौगिकी, कनेक्टिविटी, खाद्यान्न, ध्रुवीय क्षेत्र एवं संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न विकास कार्यक्रमों में भारत की बढ़ती भूमिका एवं उपलब्धियों के आधार पर 2047 तक विकसित देश बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भारत सूर्य की भाँति चमक रहा है। जैसाकि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रूस के कजान शहर में 23 अक्टूबर, 2024 को आयोजित ब्रिक्स के 16 वें शिखर सम्मेलन में अपने उद्धो धन भें कहा है,'अब भारत के पास ई-कामर्स, कृषिगत व्यापार, सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष शोध एवं व्यावसायिक प्रक्षेपण आदि दर्जनभर नए अवसर उपलब्ध हैं। भविष्य में भारत इन सभी स्वर्णिम अवसरों का भरपूर लाभ उठाने हेतु तत्पर बना हुआ हुआ है।'[6]

**अत्याधिक संशोधनों की आलोचना-** एक तरफ जहां 1789 में लागू हुए अमेरिकी संविधान में अबतक मात्र 27 और ऑस्ट्रेलिया के 1848 के संविधान में और भी कम संशोधन हुए है। वहीं दूसरी ओर विश्व के सबसे बडे लोकतात्रिक देश भारत में 75 साल की न्यूहनावधि में ही अबतक भारतीय संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। समय-समय पर कई विद्धानों में भारतीय संविधान मेंअत्याधिक संशोधनों की कटु आलोचना भी की हैं। इसके पीछे मुख्य कारण ये रहा है कि सत्ताधारी दल ने स्वार्थवश एवं सत्ता में बने रहने के लिए अपनी शक्ति एवं बहुमत का दुरूपयोग भी किया है।

42 वें संविधान संशोधन के सम्बंध में 1976 में आचार्य कृपलानी ने टिप्पणी करते हुए कहा था, 'मुझे तो अब भारतीय संविधान में संशोधन ही संशोधन दिखाई दे रहे हैं, मूल संविधान नहीं।'[7] वास्तव में, यह संशोधन अब तक हुए संशोधनों में सबसे बड़ा संशोधन था। यह संशोधन एक प्रकार से सम्पूर्ण संविधान का पुनरीक्षण था। इसके द्धारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर अनुच्छेद-51 (क) जोड़कर 10 मूल कर्त्तव्य जोड़े गए थे। इसके साथ ही प्रस्तावना में 'प्रभुत्व सम्पन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य' शब्द जोड़े कर लोकसभा एवं विधानसभाओं का कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था जिसे 44 वें संविधान संशोधन (1978) के द्धारा पुन: कार्यकाल 5 साल कर दिया गया। इसके अतिरिक्त मूलाधिकारों, नीति निदेशक तत्वों,संघीय कार्यपालिका,संघीय न्यायपालिका,नियंत्रक-महालेखा परीक्षक,सातवीं अनुसूची आदि में भी संशोधन कर तानाशाही ढंग से न्यायिक समीक्षा को सीमित किया गया था।

**निष्कर्ष-** उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक-राजनीतिक व्यवस्था को और भी मजबूत बनाने हेतु अपनी 145 करोड़ की जनसंख्या की ज्ञान, कौशल एवं जनशक्ति का अधिकतम सकारात्मक दोहन करने हेतु अपने संविधान को भी लगातार अद्यतन किया है।भारत सरकार के प्रयासों से सितम्बतर 2023 में कई दशकों से लम्बित महिला आरक्षण विधेयक को 106 वें संविधान संशोधन के रूप में संसद से पारित कराकर 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' से महिला सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त एवं प्रज्वलित कर दिया है।[8] अब भारत के लोकतंत्र एवं संवैधानिक विकास और निर्णयन की प्रक्रिया में महिलाओं का योगदान सुनिश्चित किया जा सकेगा। अत: भारतीय संविधान में समयानुकूल नए राज्यों का गठन, अधिकारों एवंमौलिक कर्तव्यों का विस्तार, कमजोर, शोषित वर्गो के लिए विशेष आरक्षण एवं अन्य प्रावधान संविधान संशोधनों के माध्यम से ही स्थापित किए जाने की सतत् प्रक्रिया जारी रहना विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्ति करने हेतु जरूरी भी है।

**संदर्भ ग्रंथ सूची :-**

1. दैनिक भास्कर, 27 नवम्बर, 2024, जबलपुर, पृ. 1
2. सिवाल, अश्विनी,भारतीय संविधान के 75 वर्ष: एक गौरवपूर्ण यात्रा, योजना, नवम्बर 2024, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, पृ. 7
3. Rajaram , Kalpna, Indian Polity : The Constitutional Framework and Topical Issues, 2024, Spectrum Books Pvt. Ltd. , New Delhi, p-804
4. भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन, 2023, उपकार प्रकाशन, आगरा, पृ.62-67
5. काश्यप, सुभाष, हमारा संविधान, 2002, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, पृ. 121
6. प्रतियोगिता दर्पण, दिसम्बर, 2024, उपकार प्रकाशन, आगरा, पृ. 15
7. सिवाल, अश्विनी, भारतीय संविधान के 75 वर्ष : एक गौरवपूर्ण यात्रा, योजना, नवम्बर 2024, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, पृ. 14
8. प्रतियोगिता दर्पण, नवम्बर, 2023, उपकार प्रकाशन, आगरा, पृ. 111

**********